



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025/122

दर्ज तिथि:-04.04.2025

1. सीमा पुत्री भीखा

जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. हुसैन पुत्र भीखा

जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार नोखड़ा

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री नारायण कुमावत

अप्रार्थी:- एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत इस्तकराहक अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 513/0.0162 है0, 514/3.0270 है0 मौजा धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान-ए-वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता



प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व नियम-02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।
4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य-सबूत लेकर ही किया जा सकता है।
5. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के

पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

6. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाशकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाशकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।
7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसल वाद संख्या 2025/122 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 09.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर